पत्रांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2021 (खंड)/84 (अनु) पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

किशोर कुमार,
संयुक्त सचिव

सेवा में,

उप सचिव–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 17/2/2025

विषय: **वित्तीय वर्ष 2024–25 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 77(स्वी०) दिनांक 11.02.2025 द्वारा स्वीकृत षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत प्रथम एवं द्वितीय किस्त की विकास निधि (Development Funds) के रूप में सभी जिला परिषदों को कुल ₹2,28,70,39,500.00 (दो अरब अठाइस करोड़ सत्तर लाख उनचालीस हजार पाँच सौ रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 77(स्वी०) दिनांक 11.02.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत प्रथम एवं द्वितीय किस्त की विकास निधि (Development Funds) के रूप में सभी जिला परिषदों को कुल ₹2,28,70,39,500.00 (दो अरब अठाइस करोड़ सत्तर लाख उनचालीस हजार पाँच सौ रूपये) मात्र की राशि के वितरण, निकासी एवं व्यय की स्वीकृति निम्नरूपेण प्रदान की गई है :–

राशि रूपये में

Development Fund		
Tied (60%)	**Untied (40%)**	**Total (Col-1+2)**
1	*2*	*3*
1372223700.00	914815800.00	**2287039500.00**

दो अरब अठाईस करोड़ सत्तर लाख उनचालीस हजार पाँच सौ रूपये मात्र

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में राज्य के सभी जिला परिषदों को विकास निधि मद में प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में स्वीकृत कुल ₹2,28,70,39,500.00 (दो अरब अठाइस करोड़ सत्तर लाख उनचालीस हजार पाँच सौ रूपये) मात्र की राशि उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी–1 के अनुरूप आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या

77(स्वी०) दिनांक 11.02.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से CFMS के माध्यम से करेंगे एवं उक्त स्वीकृत्यादेश के साथ संलग्न विवरणी–1 के अनुरूप CFMS के माध्यम से संबंधित जिला परिषद् के बैंक खातों में राशि अंतरित करायेंगे।

4. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2024–25 में मांग संख्या–16 अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय से निम्नरूपेण से की जायेगी:–

राशि रूपये में

क्र०	बजट शीर्ष	निधि	विषय शीर्ष	आवंटित राशि
1.	"मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष –00–लघु शीर्ष–196–जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता उपशीर्ष–0007–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान" विपत्र कोड–16–2515001960007	विकास निधि	0007.31.05–सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण	2287039500.00
	कुल			**2287039500.00**

दो अरब अठाईस करोड़ सत्तर लाख उनचालीस हजार पाँच सौ रूपये मात्र

5. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, 214 दिनांक 06.03.2024, 478 दिनांक 06.08.2024 एवं 730 दिनांक 09.12.2024 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

6. इस आवंटित राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 77(स्वी०) दिनांक 11.02.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।

7. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की

67

जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2021 (खंड) के पृष्ठ संख्या–35/टि० पर दिनांक 13/02/25 को प्राप्त है।

12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

17/2

(किशोर कुमार)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2021 (खंड)/84(3/4)पं०रा० पटना, दिनांक... 17/2/2025

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–6/लेखापाल/रोकड़पाल, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हुेत प्रेषित।

17/2

(किशोर कुमार)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2021 (खंड)/84(3/4)पं०रा० पटना, दिनांक... 17/2/2025

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

17/2/2025

(किशोर कुमार)

संयुक्त सचिव